Conversion of Railway Board into an Autonomous Statutory Corporation

3676. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Wanchoo Committee on Railway Accidents has suggested conversion of the Railway Board into an autonomous statutory Corporation to insulate the organisation from outside influeuce ;

(b) whether Government have examined this suggestion; and

(c) what decision has been taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The Railway Accidents Inquiry Committee (1968), have in para 48 of Part II of their Report, observed as follows :

'48. A more radical and fundamental method of eliminating political influence in such matters may be to convert the Railway Board into an autonomous statutory corporation as is the case in the United Kingdom. It is not, however, within the purview of this Committee to investigate into the pros and cons of this proposal and to pronounce on its desirability.'

(b) and (c). This is only an observation. No decision as such is called for in the matter, with reference to this observation.

Chances of Promotion of Railway Guards

3677. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the chances of promotion of the Railway Guards are very limited;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have received any representation from the Union of the Guards in this regard; and

(d) if so, the steps taken so far in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) and (b). No. Apart from promotion to the higher grade posts in their own cadre, Guards are considered for promotion to the posts of Assistant Station Masters/ Station Masters, Assistant Yard Masters, Section Controllers, Assistant Trains Controllers, Traffic Inspectors etc. The existing avenues of promotion of Guards are considered adequate.

(c) Yes.

(d) Does not arise in view of the reply to (a) and (b) above.

मध्य प्रदेश के इंजीनियरों को लघु उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करना

3678. श्री रामावतार शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा धारी उद्यमियों को प्रशिक्षण देने तथा उद्योगों की स्थापना हेतु उनको वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाई है जिसकी व्यवस्था चौथी पंचवर्षीय योजना में भी है; और

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने इंजीनियरिंग ज्ञान वाले उद्यमी हैं जिन को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण मिलेगा तथा क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण लघु उद्योग सेवा संस्थान इन्दौर में दिया जायेगा । यह

आशा की जाती है कि लगभग 100 इंजीनियर उद्यमी प्रतिवर्ष इस केन्द्र में प्रशिक्षित होंगे ।

मध्य प्रदेश के उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदन-पत्र

3679. श्री रामावतार शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों से गत् वर्ष और 1970 में अब तक, नए औद्योगिक एककों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने के संबंध में मध्य प्रदेश के उद्योगों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; तथा उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने आवेदन-पत्र हैं जिन पर विचार किया गया है तथा लाइसेंस पर विचार किया गया है तथा लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किए गए हैं; और

(ग) ऐसे कितने आवेदन-पत्र हैं जिन पर लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी नहीं किये गये हैं और उनको लाइसेंस न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). विगत वर्ष तथा 1970 (31 अक्तूबर तक) के दौरान मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु 70 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 45 नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के, 12 नई वस्तुओं के निर्माण करने तथा 13 पर्याप्त विस्तार करने के बारे में थे । उनमें से 2 आवेदन-पत्र सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुए थे और शेष 68 गैर-सरकारी क्षेत्र के थे । ये आवेदन-पत्र रसायन, वैद्युत उपकरणों, सहायक मोटर गाड़ियों, वनस्पति, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक, बियर, रबड़ की बनी वस्तुएं, कागज, कृषि की मशीनें, लोहा तथा इस्पात की वस्तुओं तथा अन्य उद्योगों के हैं ।

70 आवेदनों में से, क्रमशः एक तथा 3 मामलों में लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किये गये हैं, 19 रद्द कर दिए गए हैं, 2 आवेदन आवेदकों ने वापस ले लिए हैं तथा एक में लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी और पार्टी को इसकी सूचना दे दी गई है । शेष 44 आवेदनों पर विचार किया जा रहा है । इनमें से 16 आवेदनों पर लाइसेंस समिति ने पहले ही विचार कर लिए हैं और शीघ्र ही सरकारी निर्णय जारी किया जाना है अथवा जारी किए जाने की आशा है । यह भी कथितव्य है कि 1 अगस्त 1970 से 31 अक्तूबर, 1970 की अवधि में 19 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

Development of Ancillary Industries in Jabalpur

3680. SHRI RAMAVTAR SHARMA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some years ago the Madhya Pradesh Government had sent a proposal to the Central Government for developing ancillary industries near Jabalpur Defence establishments; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken so far by the Central Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) and (b) . The proposal to develop ancillary industries around the defence establishments near Jabalpur was made by the State Government some time back. A study made by the Development Commissioner, Small Scale Industries revealed scope for establishment of units such as machine shops, forge shops etc. The matter has been taken up with the Ministry of Defence Production.